रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897

No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December 1975

S.O. 739(E).—Whereas the Government of West Bengal have intimated a few inadvertent slips or omissions in the description of certain assembly constituencies mentioned in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 45 of 30 June, 1975, in respect of the State of West Bengal;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of those constituencies and correct the errors arising from inadvertent slips or omissions so as to bring the Order correct and uptodate;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I. In Table B—Assembly Constituencies—

(i) Under column 2, against 10-Kumargram (ST) and 12-Alipurduars, in the description of the extent of the constituencies *for* the words and figure "141-Kohinur Tea and Refugee Gardens", the words and figure "141-Kohinur Tea Garden" shall be *substituted*;

(ii) Under column 2, against 71-Nakashipara and 76-Krishnagar West, in the description of the extent of the constituencies the words "and mouza having J. L. No. 103 Dharmmadaha" shall be *omitted*;

(iii) Under column 2, against 88-Ashokenagar, in the description of the extent of the constituency, *for* the words "excluding Maslandapur I," the words "excluding Gobardanga municipality and Maslandapur I", shall be *substituted;*

(iv) Under column 2, against 224-Kharagpur Town, in the description of the extent of the constituency, the words "in Kharagpur Town police station" shall be *omitted;*

(v) Under column 2, against 225-Kharagpur Rural, in the description of the extent of the constituency, for the words "excluding Chakmakrampur", the words "excluding any area of Kharagpur municipality and Chakmakrampur", shall be *substituted;*

(vi) Under column 2, against 226-Keshiari (ST), and 227-Narayangarh in the description of the extent of the constituencies, *for* the words "Kashipur I, Kashipur II", the word "Kashipur", shall be *substituted;*

(vii) Under column 2, against 264-Durgapur I and 265-Durgapur II, in the description of the extent of the constituencies—

(a) *for* the words "Durgapur Steel and Alloy Townships", the words "Durgapur Steel and Alloy Steels Townships" shall be *substituted;* and

(b) between the words "Mahatma Gandhi Avenue", and Ashutosh Mukherjee Avenue", the words "Mahatma Gandhi Avenue upto its junction with Ashutosh Mukherjee Avenue", shall be *inserted.*

II. In the Note, *for* the words and figures "first day of June, 1975" the words and figures "1st day of August, 1975" shall be *substituted.*

[No. 282/1/WB/75]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1975

का० आ० 739 (अ).—पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के आदेश सं० 45, तारीख 30 जून, 1975 की सारणी (ख) में वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में अनवधानता से हुई कुछ भूल या चूक संसूचित की हैं ;

और निर्वाचन आयोग उक्त आदेश को ठीक और अद्यतन करने के लिए अनवधानता से हुई भूल या चूक से परिणामित गलतियों को ठीक करना और उक्त आदेश में कुछ संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है;

अतः, अब यह आयोग परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है :—

I.—सारणी-सभा निर्वाचन-क्षेत्र में—

(i) 10—कुमारग्राम (अ० ज० जा०) और 12-अलीपुरद्वार्स के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में "141—कोहिनूर टी और रिफयूजी गार्डन्स" शब्दों और अंकों के स्थान पर "141—कोहिनूर टी गार्डन्स" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) 71–नकाशियारा और 76–कृशनगर पश्चिम के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में "और जे० एल० सं० 103–धर्म्मादाहा वाला मौजा" शब्द हटाए जाएंगे ;

(iii) 88–अशोकनगर के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में "मसलन्दपुर–i" शब्दों के स्थान पर "गोबरडांगा नगरपालिका और मसलन्द-पुर–i" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) 224–खड़गपुर शहर के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में "खड़गपुर शहर पुलिस थाने में" शब्द हटाए जाएंगे;

(v) 225–खड़गपुर देहात के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में "चकमकरामपुर" शब्द के स्थान पर "खड़गपुर नगरपालिका का कोई क्षेत्र और चकमकरामपुर" शब्द रखे जाएंगे;

(vi) 226-केशियारी (अ० ज० जा०) और 227-नारायणगढ़ के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में "काशीपुर–i, काशीपुर–ii" शब्दों के स्थान पर "काशीपुर" शब्द रखा जाएगा;

(vii) 264. दुर्गापुर–I और 265–दुर्गापुर–II के सामने, स्तम्भ 2 में, निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में —

(क) "दुर्गापुर स्टील और एलोय टाउनशिपें" शब्दों के स्थान पर "दुर्गापुर स्टील और एलोय स्टील्स टाउनशिपें" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "प्रनावान्दा एवेन्यू" और आशुतोष मुकर्जी एवेन्यू" शब्दों के बीच में "आशुतोष मुकर्जी एवेन्यू के साथ अपने संगम तक महात्मा गांधी ऐवेन्यू", शब्द जोड़े जाएंगे ।

II. टिप्पणी में, "1975 के जून मास के प्रथम दिन" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1975 के अगस्त मास के प्रथम दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं० 282/1/प० बं०/75]

आदेश से,

ए० एन सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975